प्रेस–नोट

दिनांकः 10 अक्टूबर, 2024

यूपीईआरसी द्वारा यूपीपीटीसीएल योजित टैरिफ याचिका के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु पारेषण टैरिफ का निर्धारण किया गया।

वित्तीय वर्ष 2024–25 का ट्रांसमिशन दर को वित्तीय वर्ष 2023–24 की तुलना में 12 प्रतिशत घटी।

आयोग द्वारा ट्रांसमिशन सिस्टम के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए नवीन समाधानों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने के दिये गये निर्देश।

आयोग ने दिनांक 10 जून, 2024 के एडमिटेंस आदेश के द्वारा उ0प्र0 पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन की वित्तीय वर्ष 2022–23 की ट्रूअप, वित्तीय वर्ष 2023–24 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा (एपीआर) एवं 2024–25 की सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) सम्बन्धित याचिका को स्वीकार कर लिया था।

याचिका को स्वीकार करने के उपरान्त सभी हितधाराकों (स्टेकहोल्डर्स) से टिप्पणियां आमंत्रित की गयी जिस हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गयी। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा भी जनसुनवाई की सूचना हेतु एक पब्लिक नोटिस समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी गयी। आयोग ने हितधारकों और बड़े पैमाने पर जनता के सुझावों /आपत्तियों पर विचार करने के लिए दिनांक 10 जुलाई, 2024 को सार्वजनिक जनसुनवाई आयोजित की जिससे सभी को ए0आर0आर0 और टैरिफ को अन्तिम रूप देने और निर्धारण की प्रकिया से सम्बन्धित मामलों पर अपने विचार प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया।

आयोग ने विभिन्न हितधारकों द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों पर विचार करने के उपरांत दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 को टैरिफ आदेश जारी किया। जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैंः–

i) आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु पारेषण टैरिफ के लिए रू0 0.2326/यूनिट की दर स्वीकृत की गयी जबकि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह दर रू.0.2909/यूनिट क्लेम की गयी थी। आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु यूपीपीटीसीएल द्वारा संप्रेषित की जाने वाली विद्युत के रूप में 1,50,731.78 एमयू की स्वीकृति प्रदान की गयी है। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए ट्रान्समिशन दर को गत वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023–24) की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत कम कर दिया है। टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा अनुमोदित ट्रान्समिशन टैरिफ का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया हैः–

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु अनुमोदित पारेषण टैरिफ

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25	
	याचिकाकर्ता द्वारा क्लेम	आयोग द्वारा अनुमोदित
Net ARR(Rs. Crore)	4385.46	3505.33
Energy Handled (MUs)	1,50,753.06	1,50,731.78
Transmission Tariff (Rs. / kWh)	0.2909	0.2326

ii) आयोग ने वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक उपभोक्ताओं के लिए लागू इंट्रा–स्टेट ओपेन एक्सेस ट्रान्समिशन टैरिफ के लिए रू0 0.2326/यूनिट अनुमोदित किया है।

iii) आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी को नेटवर्क में संकुचन (कान्जेशन) दूर करने हेतु ट्रान्समिशन स्तर पर इन्ट्रा–स्टेट ट्रान्समिशन सिस्टम की सुरक्षा प्रणालियों, वर्चुअल ट्रान्समिशन और अन्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग का निर्देश दिया है। ये उपाय वोल्टेज और आवृत्ति नियंत्रण को बनाये रखते हुए ट्रांसमिशन व्यवस्था (एन–1) पद्धति पर सुचारू रूप से काम करने में सहायक होगें।

iv) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 220 केवी विभव और उससे ऊपर के विभव के प्रत्येक सबस्टेशन की अपनी सुरक्षा प्रणाली का वार्षिक आन्तरिक ऑडिट किया जायेगा और पायी गयी कमियों को सही किया जायेगा। यदि कोई कमियॉ हों तो सुधार के लिये कार्य योजना के साथ आडिट रिपोर्ट राज्य विद्युत समिति (एस.पी. सी.) के साथ साझा की जायेगी। आन्तरिक सुरक्षा आडिट रिपोर्टो के अनुपालन की नियमित समीक्षा एस.पी.सी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

v) उ0प्र0 पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ग्रिड कोड/एसपीसी के परामर्श के अनुसार 220केवी विभव और उससे ऊपर के विभव के प्रत्येक सबस्टेशन का पांच साल में एक बार या उससे पहले तृतीय पक्ष द्वारा सुरक्षा आडिट सुनिश्चित करायेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सुरक्षा प्रणाली स्वस्थ स्थिति में रहे तथा ग्रिड स्थिरता में वृद्धि हो।

vi) आयोग ने ट्रान्समिशन लाइसेंसधारी के बेहतर प्रर्दशन हेतु कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्तों को भी आदेश में संकलित किया है जिसके लिए लाईसेंसधारी को उन्नत निगरानी नियंत्रण प्रणाणी, पूर्वानुमानित रखरखाव, स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी, ग्रिड आधुनिकीकरण, डेटा एनालास्टिक्स और मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा उपाय, जलवायु परिवर्तन नेटवर्क योजना, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भण्डारण एकीकरण और जी0आई0एस0 मैपिंग आदि प्रमुख कार्यो पर लाइसेंसी को कार्य करना होगा।

टैरिफ आर्डर आयोग की वेबसाईट www.uperc.org पर अपलोड है।

(शैलेन्द्र गौर)

सचिव

PRESS NOTE

Dated: October 10, 2024

UPERC determines the Transmission Tariff for FY 2024-25 based on the Tariff Petition filed by UPPTCL

Reduces Transmission Tariff for FY 2024-25 by 12% than FY 2023-24

Gives directions for adoption of innovative solutions and cutting-edge technologies for upgradation and modernization of Transmission System.

The Commission vide Order dated June 10, 2024, had admitted the Petition filed by the State Transmission Company i.e. UPPTCL for True Up of FY 2022-23, Annual Performance Review (APR) for FY 2023-24 and Aggregate Revenue Requirement (ARR) / Tariff for FY 2024-25.

After admission, comments were invited from all stakeholders for which a Public Notice was issued by the licensee in newspapers. Further the Commission also published a public notice in newspapers informing the date of public hearing. The Commission conducted the Public hearing on July 10, 2024, to consider the suggestions / objections of the stakeholders and the public at large, thereby giving ample opportunity to all to express their views on the matters pertaining to finalization and determination of ARR & Tariff.

The Commission, after considering the submissions made by various stakeholders has finalized and issued the Tariff Order on October 10, 2024. The highlights of the same are as below

(i) The Commission has approved the Transmission Tariff of Rs. 0.2326 / unit for FY 2024-25 against Rs. 0.2909 / unit as claimed by the Petitioner. The Commission has approved 1,50,731.78 MUs as Energy to be handled by UPPTCL for FY 2024-25. The Commission has reduced the Transmission Tariff for the FY 2024-25 by approximately 12% than previous year (FY 2023-24). The details of the Transmission Tariff approved by the Commission in the Tariff Order are shown in the Table below:

APPROVED TRANSMISSION TARIFF FOR FY 2024-25

Particulars	FY 2024-25	
	Claimed by Petitioner	Approved by Commission
Net ARR(Rs. Crore)	4385.46	3505.33
Energy Handled (MUs)	1,50,753.06	1,50,731.78
Transmission Tariff (Rs. / kWh)	0.2909	0.2326

(ii) The Commission has approved Rs. 0.2326 / unit for Intra-State Open Access transmission charges applicable for long-term and short-term users for FY 2024-25.

(iii) The Commission has directed the Licensee to seek innovative solutions based on reactive power compensation of intra-state transmission system protection systems, virtual transmission, and other cutting-edge technologies at the transmission level to address issues such as congestion in networks, to support voltage & frequency control and serve as the N- 1 redundancy.

(iv) The Licensee shall conduct an internal audit of their protection system annually of each substation at 220 kV & above. Any shortcomings identified shall be rectified. The audit report along with action plan for rectification of deficiencies detected, if any, shall be shared with SPC. The necessary compliance to such internal protection audit reports shall be followed up regularly in the SPC.

(v) The Petitioner shall conduct third-party protection audit of each substation at 220 kV and above once in five years or earlier as advised by the Grid Code/ SPC. It is to ensure that protection systems remain in healthy state thus enhancing the Grid stability and its resilience.

(vi) The Commission has also enumerated some guiding principles for future performance of the Transmission licensee in the way forward which provides that licensee should further emphasize its focused efforts on Advanced Monitoring and Control Systems, Smart Grid Technology, Grid Modernization, Data Analytics and Machine Learning, Cybersecurity Measures, Climate Resilient Network Planning, Renewable Energy and Energy Storage Integration and GIS mapping of its assets.

The Tariff Order has been uploaded at **www.uperc.org**

(Shailendra Gaur)
Secretary